संख्या : 1573/चि०शि०/85/चि०शि० /2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

2. निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 19 अप्रैल, 2001

विषय :– **उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल में निजी क्षेत्र के मेडिकल/ डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेतु नीति विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल शासन राज्य के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य एवं राज्य के वर्तमान वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुऐ राज्य में निजी क्षेत्र में नये मेडिकल/ डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेतु इन कालेजों के स्थापित होने के पश्चात चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरांचल राज्य के नवयुवकों को अपने ही राज्य में एक अच्छी चिकित्सा शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो एवं निजी क्षेत्र में पूंजी विनियोग को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में मेडिकल/ डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया है।

निजी क्षेत्र में मेडिकल/ डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेज खोले जाने के संबंध में निम्न श्रेणियों की संस्थाओं को कालेज खोले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(1) क– विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र।

ख– केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सार्थित स्वायत निकाय।

ग– सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटीज भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, वक्फ आदि के अन्तर्गत पंजीकृत धार्मिक अथवा धर्मार्थ सार्वजनिक न्यास।

वर्तमान में निजी क्षेत्र की कम्पनियों को मेड़िकल/ डेन्टल कालेज खोलने हेतु अर्ह नहीं है परन्तु इन कम्पनियों अथवा किसी वित्त द्वारा सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत न्यास/ समिति स्थापित कर उसके माध्यम से मेड़िकल/ डेन्टल कालेज खोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) अर्ह संस्थाओं के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात यह सुनिश्चित करने के लिये कि आवेदन संस्था संबंधित काऊंसिल के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संसाधन/ सुविधायें रखती हैं अथवा व्यवस्था किये जाने में समक्ष हैं, मेड़िकल/ डेन्टल कालेजों के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तरांचल से आवेदन पत्रों की जांच करायेगी तथा उनके द्वारा संस्तुति किये गये प्रार्थना पत्रों पर शासन द्वारा समुचित विचारोपरान्त इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) आवेदक संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार–विमर्श करके चयन मुख्य सचिव, उत्तरांचल की अध्यक्षता में गठित कमेटी (इम्पावर्ड कमेटी) द्वारा किया जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी निम्न प्रकार होगी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | मुख्य सचिव | : | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव, वित्त | : | सदस्य |
| 3. | सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य | : | सदस्य |
| 4. | सचिव, चिकित्सा शिक्षा | : | सदस्य |
| 5. | महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 (मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों के संबंध में) | : | सदस्य/ संयोजक |
| 6. | राज्य के मेडिकल/ डेन्टल संकाय के दो वरिष्ठ विशेषज्ञ/ चिकित्सक जो शासन द्वारा नामित किये | : | सदस्य |
| 7. | आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें | : | सदस्य/ संयोजक |
| 8. | राज्य के आयुर्वेदिक संकाय का एक विशेषज्ञ/ चिकित्सक जो शासन द्वारा नामित हो | : | सदस्य |

यह समिति आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों/ विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति पर माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी उत्तरांचल द्वारा इस विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा कि इम्पावर्ड कमेटी द्वारा चयनित किये

आवेदन संस्थाओं को महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में उत्तरांचल राज्य की अनापत्ति संबंधित काऊंसिल को भेजी जाये।

(4) संबंधित काऊंसिल का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले मेडिकल/ डेन्टल कालेज एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्रबन्धक, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्ते निर्धारित करने, दिन प्रति दिन के कार्यो के संचालन में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा ऐसी आवेदन संस्थाओं को जिन्हें कि संबंधित काऊंसिल से महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई हो, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के क्रय पर व्यापार कर में छूट की सुविधा अनावर्तक व्यय पर उसी प्रकार प्रदान की जायेगी जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र में मेडिकल/ डेन्टल एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को अनुमन्य है।

(5) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले मेडिकल/ डेंटल एवं आयुर्वेदिक कालेजों को राज्य सरकार की अनापत्ति तब ही दी जायेगी जब संबंधित आवेदक संस्था द्वारा मेडिकल कालेज के संबंध में मेडिकल काऊंसिल आफ इन्डिया, डेन्टल कालेजों के संबंध में डेंटल काऊंसिल आफ इन्डिया एवं आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में भारतीय चिकित्सा केन्द्रिय परिषद (सी.सी.आई..एम.) द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो के अनुरूप भूमि एवं भवन, वित्तीय प्रबन्ध इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे। निजी क्षेत्र में खोले जाने वाले कालेजों को केवल उतनी ही सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, जितने के लिए उन्हें संबंधित काऊंसिल से अनुमति प्राप्त हुई है एवं इस प्रकार आवंटित सीटों में उत्तरांचल शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाना संस्था का दायित्व होगा।

(6) आवेदक संस्थाओं को विधार्थियों की भर्ती, शुल्क निर्धारण, अर्हता परीक्षा संचालन एवं संबंधित परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्धारित बिस्तर वाले अस्पतालों की व्यवस्था विभिन्न न्यायालयों के निर्णय एवं संबंधित काऊंसिल द्वारा निर्धारित विनियम, दिशा–निदेर्शो के अनुसार करना होगा। सामान्यतः आवेदक संस्था को किराये के भवन में कालेज खोले जाने के संबंध में अनापत्ति नहीं दी जायेगी जब तक कि इस प्रकार की कोई छूट/ सुविधा काऊंसिल द्वारा नीतिगत रूप से उन्हें न प्रदान की गई हो। सी. सी.आई.एम. द्वारा प्रथम चरण में किराये के भवन में कालेज खोले जाने संबंधी नीति है अतः ऐसे मामलों में संस्था से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जाऐगी कि वह द्वितीय चरण में अपनी निजी भूमि पर भवनों का निर्माण पूरा कर लेगी।

(7) निजी क्षेत्रों में खोले गये कालेजों की भर्ती की प्रक्रिया राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली पी.एम.टी. की परीक्षा के माध्यम से ही की जाऐगी तथा इसमें संबंधित कौंसिल के नियम/विनियम एवं दिशा–निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) निजी क्षेत्र में मेडिकल/ डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों के विधार्थियों की भर्ती तथा शुल्क निर्धारण में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से 15 प्रतिशत सीटे अप्रवासी भारतीयों हेतु, 50 प्रतिशत सीटें योग्यता/ विकल्प के आधार पर फ्री सीट्स एवं शेष सीटे अधिक शुल्क (पेड़ सीट्स) वाली सीटें होगी।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं यथावश्यक सर्वसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों एवं अन्य प्रसार माध्यमों से प्रसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. प्राचार्य, राजकीय गुरूकुल/ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।
5. सूचना निदेशक, उत्तरांचल शासन, देहरादून को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

(पंचम लाल)
अपर सचिव

19040100 1. pdf